निदेशालय

गृह रक्षा,मुख्यालय,राजस्थान, जयपुर

जलेब चौक,जयपुर।

फोनः– 0141–2612591,फैक्स :0141–2612592,

ई–मेल fa.hgcd.rj@nic.in Website http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक/गृरमु/लेखा/2021–22 18942-83 दिनांक 14-7-21

परिपत्र

लॉग बुक संधारण हेतु दिशा निर्देश

राजकीय वाहन उपयोग किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वाहन उपयोगकर्ता को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये है। अंकेक्षण दलों द्वारा लॉग बुक के अवलोकन, विश्लेषण से यह परिलक्षित हुआ है कि वाहन उपयोगकर्ता द्वारा लॉग–बुक–नियमानुसार पूर्णरूपेण नहीं भरी जा रही है। अपूर्ण लॉग बुक की यात्रा को निजी यात्रा मानते हुए राशि वसूली किये जाने का भी प्रावधान है। लॉग बुक का नियमानुसार संधारण नहीं करने एवं पूर्ण रूपेण नहीं भरने के कारण अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण आक्षेप गठित किया जाता है।

अतः समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लॉग बुक संधारण हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए लॉग बुक का संधारण सुनिश्चित किया जावे। यह आवश्यक है कि सभी कार्यालय प्रभारी समय–समय पर अपने कार्यालय को आबंटित सभी वाहनो की लॉग बुक चैक करें व यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के नियमो की पालना अधीनस्थ कर्मियों द्वारा की जा रही है।

उक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/अधिकारी उत्तरदायी होगें एवं ऑडिट के दौरान इस विषय में राशि वसूल करने का प्रकरण बनने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप महासमादेष्टा (संस्थापन) गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. उप महासमादेष्टा (भंडार) गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुरा बेगस, जयपुर।
4. समस्त गण समादेष्टा सीमा गृह रक्षा दल राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त समादेष्टा/उप समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी एम.टी. शाखा गृह रक्षा मुख्यालय राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार